



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



30 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 173 राँची, बुधवार,

20 मार्च, 2024 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

2 मार्च, 2024

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019- 533--श्री दुर्गानन्द झा, (झा०शि०से०-02), जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू-अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, मेदिनीनगर, पलामू के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्रीमती नीलम आईलीन टोप्पो, (झा०शि०से०-02), (गृह जिलाराँची) जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीहको स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री सुशील कुमार, (झा०शि०से०-02), (गृह जिलापटना) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू-अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, मेदिनीनगर, पलामू को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../मो० वसीम अहमद, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-चतरा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री विनय कुमार, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी राँची के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री अभय कुमार शील, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक खूँटी के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री नूर आलम खाँ, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-लातेहार) जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री कुमार हर्ष, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-बोकारो) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, दुमका को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

सं.सं.-01/स्था०2-02/2019...../श्री अजय कुमार, (झा०शि०से०-02), (गृह जिला-औरंगाबाद, बिहार) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, देवघर को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किन्हीं दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है, परंतु उनका पदस्थापन कहीं अन्यत्र नहीं किया गया है, वे विभागीय मुख्यालय में योगदान करेंगे ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

4. जिन पदाधिकारियों को उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है, वे अपने ही वेतनमान में उक्त पद के कार्य का निष्पादन करेंगे । भविष्य में उक्त पदाधिकारियों के द्वारा प्रभार के रूप में उच्चतर पद का वेतन का दावा मान्य नहीं होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

कुमुद सहाय,
सरकार के अपर सचिव ।
